भंवरलाल बनाम कमला देवी वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मुन -103/2021
	दावा
08.12.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– सिहोड़ी में पेश हुई। वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पंचायत– सिहोड़ी में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण व प्रतिवादियागण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित वादीगण की पहचान वादीगण वकील श्री अशोक कुमार शर्मा-एड0 ने की एंव उपस्थित अन्य पक्षकारान् प्रतिवादियागण संख्या 1 लगायत 8 की पहचान श्री सुन्दरलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी के द्वारा की गई। प्रकरण में प्रतिवादीयागण संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र का आज ही लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
भंवरलाल, कमला, ओमप्रकाश, गोपाल, अशोक कुमार (हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी)	यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को ग्राम पंचायत– सिहोड़ी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।
	08/12/21 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प हथौरा

सरपंच
ग्राम पंचायत सिहोडी
पं.स. अजीतगढ़ (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान कैम्पः— सिहोड़ी

पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
103/2021	2021/174	15.09.2021	08.12.2021

उनवान

1. भवरंलाल
2. बलबीर
3. औमप्रकाश

पुत्रगण रामेश्वरलाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाणी चोटियावाली तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादीगण

बनाम्

1. कमला देवी
2. सुमित्रा देवी
3. सन्तोष देवी
4. मिश्री उर्फ ममता
5. चन्दा

पुत्रीयॉ कन्हैयालाल

जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

6. सुरज्ञान देवी
7. कौशल्या देवी
8. श्रवण देवी

पुत्रीयॉ रामेश्वरलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:17 IST
Reason: SelfAttested

08/12/21

जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

9. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री अशोक कुमार शर्मा, वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 9

<u>वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 229, 239/983, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर तन् ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज है। पक्षकारान वादीगण एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 8 आपस में एक ही परिवार खानदान से है एंव आपस में भाई बहिने है जो सजरा खानदान से स्पष्ट हैं। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता रामेश्वरलाल के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में अर्सा करीब 40 साल पूर्व हुए बाहमी बंटवारा के अनुसार आयी थी जिस पर पूर्व मे वादीगण के पिता रामेश्वरलाल काबिज काश्त चले आ रहे थे एंव उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादिया संख्या 1 ता 5 के पिता कन्हैयालाल के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में बाहमी बंटवारा के अनुसार तन् ग्राम त्रिलोकपुरा में स्थित अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 582, 583, 584 आई हुई थी जिसकी खातेदारी से वादीगण व उनके पिता रामेश्वरलाल का नाम हटवाकर प्रतिवादिया संख्या 1 ता 5 के नाम हो चुकी है। प्रतिवादिया संख्या 6 ता 8 वादीगण की सगी बहिने हैं जो शादीशुदा होकर [illegible] रूप से [illegible] रह रही है। उक्त भूमियों पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त भूमिया की खातेदारी वादीगण अपने अकेलों के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादियागण को वादीगण के हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:17 IST
Reason: SelfAttested

08/12/21

का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादियागण को उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज कराने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देती रही परन्तु दिनांक 30.08.2021 को इन्कार हो गयी तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने क़ी धमकी दी है। इसलिए दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:— यह कि घोषणा की जावें कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 229, 239/983, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या 1 ता 8 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों का अकेले वादीगण को बहिस्सा बराबर—बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने का आदेश जरिए डिक्री प्रदान किये जाने व प्रतिवादीयागण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण के हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करने बाबत उक्त दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत— सिहोड़ी के मजमे—ए—आम में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया है। शिविर में उपस्थित वादीगण की पहचान वादीगण वकील श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट ने की एंव उपस्थित प्रतिवादियागण संख्या 1 लगायत 8 की पहचान श्री सुन्दर लाल, सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी के द्वारा की गई। प्रतिवादियागण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से वकील वादीगण एंव उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49.17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादियागण संख्या 1 से 8 द्वारा वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में

Rathore 08/12/21

अपनी–अपनी सहमति प्रदान किये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली, व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीयागण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीयागण संख्या 1 ता 8 आपस में एक ही परिवार से है। उक्त वादग्रस्त भूमियाँ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियाँ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य 40 वर्ष पूर्व हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 229, 239/983, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या 1 ता 8 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों का अकेले वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किये जाने व प्रतिवादीयागण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का बाबत घोंषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 229, 239/983, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टर तन् ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी से प्रतिवादिया संख्या 1 ता 8 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमियों का अकेले वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:17 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
08/12/21

8–श्रवण देवी उम्र 40 साल

बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीयागण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

08/12/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– सिहोड़ी

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– सिहोड़ी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

08/12/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– सिहोड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 12:49:17 IST
Reason: SelfAttested